तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22/7/22	विविध वाद सं0–04/2022–23 जीलो यादव एवं अन्य ——————————प्रथम पक्ष बनाम सरयु महतो———— ——————————द्वितीय पक्ष **आदेश** भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के पत्रांक–128 दिनांक–09.06.2022 द्वारा जीलो यादव एवं अन्य द्वारा समर्पित अभ्यावेदन जिसके साथ जीलो यादव, नरेश यादव, बलेश यादव पिता स्व0–झरी यादव ग्राम–चाया थाना–कुन्दा के खाता सं0–09 प्लॉट सं0–27 रकवा–0.53 ए0, प्लॉट सं0–31 रकवा 0.95 ए0, प्लॉट सं0–34 रकवा 0.92 ए0, प्लॉट सं0–66 रकवा 0.64 ए0, प्लॉट सं0–68 रकवा–1.38 ए0, प्लॉट सं0–75 रकवा–0.62 ए0 प्लॉट सं0–126 रकवा–0.22 ए0 प्लॉट सं0–346 रकवा–0.05 ए0, प्लॉट सं0–347 रकवा–0.83 ए0 एवं प्लॉट सं0–366 रकवा 0.22 ए0 कुल रकवा 6.36 ए0 भूमि का दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन पत्र एवं राजस्व उप निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन को संलग्न कर अभिलेख संधारित करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सम्पूर्ण अवसर देते हए राजस्व कागजातों की जॉच कर राजस्व निबंधन एवं भमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची द्वारा निर्गत निदेशों/संकल्पों के आलोक में विधिसम्मत/नियमसंगत कार्रवाई कर आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है । भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के उक्त आदेश के आलोक में अपना–अपना पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया । उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत किया गया । प्रथम पक्ष द्वारा पक्ष रखते हुए बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि प्रथम पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के वंशज कुंजल महतो वल्द सुखलाल महतो मौजा–चाया थाना–कुन्दा से निबंधित केवाला सं0–5013 दिनांक–17.11.19859 से कय किया गया है । कय के बाद ही दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया था परन्तु विपक्षी के विरोध के कारण नहीं हुआ । इस संबंध मे अनुमण्डल दण्डाधिकारी,चतरा के	

न्यायालय में धारा–145 द0प्र0सं0 के तहत् वाद सं0–06/1990 टी0आर0 नं0–27/1993 सरयु महतो बनाम जीलो महतो में सरयु महतो द्वारा आवेदन वापस लिया गया एवं प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित गया है । श्री गोपाल दास, कार्यपालक दण्डाधिकारी,चतरा के न्यायालय में धारा–145 द0प्र0सं0 वाद सं0– 83/1991 सरयु महतो बनाम जिलो महतो में विपक्षी सरयु महतो ने पिता वंशी महतो जो गलत है दर्ज किया गया है । आगे बताया गया कि सब जज–। व्यवहार न्ययालय,चतरा के न्यायालय में पार्टिसन सूट सं0–110/1989 सरयु महतो वगैरह बनाम गणेशी महतो वगैरह लाया गया था जिसमें विपक्षी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । पुनः दाखिल–खारिज हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,चतरा के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें कागजातों को संलगन करते हुए इस न्यायालय में भेजा गया है । प्रथम पक्ष द्वारा कागजातों के आधार पर प्रश्नगत् भूमि का दाखिल–खारिज करने का अनुरोध किया गया ।

प्रथम पक्ष की ओर से निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया गया है ।–

1. निबंधित केवाला सं0–5013 दिनांक–17.11.1989
2. श्री गोपाल दास, कार्यपालक दण्डाधिकारी,चतरा के न्यायालय में धारा–145 द0प्र0सं0 वाद सं0– 83/1991 सरयु महतो बनाम जिलो महतो पिता वंशी महतो का निर्गत नोटिस –1 अद्द
3. अनुमण्डल दण्डाधिकारी,चतरा के न्यायालय में धारा–145 द0प्र0सं0 के तहत् वाद सं0–06/1990 टी0आर0 नं0–27/1993 सरयु महतो बनाम जीलो महतो में पारित आदेश फलक 1 अद्द
4. खतियान
5. सब जज–। व्यवहार न्ययालय,चतरा के न्यायालय में पार्टिसन सूट सं0–110/1989 सरयु महतो वगैरह बनाम गणेशी महतो वगैरह में पारित आदेश

विपक्षी द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि विपक्षी को भूतपूर्व जमींदार से रैयती बन्दोबस्त सुखो महतो के नाम से प्राप्त हुआ है । बन्दोबस्तधारी उक्त जमीन पर काबिज दखलकार हुए तथा मालगुजारी अदा करके जमींदारी रसीद प्राप्त किए । जमींदारी उन्मूलन के बाद जमाबंदी पंजी–।। में सुखो महतो का नाम अंकित होकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ है । सुखो महतो की मृत्यु के बाद

दाखिल खारिज होकर सरकारी रसीद सरयु महतो पिता सुखो महतो के नाम से निर्गत हो रहा है । सरयु महतो की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र राजेन्द्र यादव वगैरह का दखल–कब्जा चला आ रहा है । आगे बताया गया कि विपक्षीगण के पिता झरी महतो द्वारा कथित केवाला सं0–289 दिनांक–15.11.1972 करवाये । विपक्षी के पिता अपने जीवन काल में दाखिल–खारिज हेतु अंचल कार्यालय,प्रतापपुर में आवेदन दिये थे जिसका दाखिल–खारिज केश नं0–11/1980–81 था जो जाँचोपरान्त दाखिल–खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया । प्रश्नगत् भूमि से संबंधित दफा 144 द0प्र0सं0 तत्पश्चात् धारा–145 द0प्र0सं0 में परिवर्तन होकर केश नं0–96/90, 27/93 जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ एवं द्वितीय पक्ष उक्त वाद में प्रथम पक्ष के हक में दखल–कब्जा स्वीकार करते हुए समझौता हुआ । श्री एम0पी0सिन्हा कार्यपालक दण्डाधिकारी,चतरा के न्यायालय में दिनांक–22.01.1994 को सरयु महतो के पक्ष में आदेश पारित हुआ है । वर्तमान में प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी के तीन पुत्र राजेन्द्र यादव, भुनेश्वर यादव एवं हबीसर यादव का अलग–अलग आवासीय मकान, कुआँ फलदार वृक्ष लगा हुआ है एवं मकान में रह रहे हैं । सब जज–। व्यवहार न्ययालय,चतरा के न्यायालय में पार्टिसन सूट सं0–110/1989 सरयु महतो वगैरह बनाम गणेशी महतो वगैरह में प्रश्नगत् खाता नहीं है बल्कि खाता सं0–15 से संबंधित है । प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में गलत कागजात प्रस्तुत किया गया है ।

आगे यह भी बताया गया कि इसी विद्वान अंचल अधिकारी,कुन्दा के न्यायालय में प्रथम पक्ष बलेश यादव द्वारा दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिया गया था । उक्त आवेदन के आलोक में विविध वाद सं0–10/2020–21 संधारित किया गया । उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया । दोनों पक्षों की ओर से अपना–अपना पक्ष एवं कागजात प्रस्तुत किया गया । सुनवाई करते हुए कागजातों एवं पक्ष के अनुसार दिनांक–05.02.2021 को प्रथम पक्ष का दावा को निरस्त किया गया है एवं असंतुष्ट पक्ष को सक्षम प्राधिकार/न्यायालय में जाने हेतु आदेश पारित किया गया है । विपक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्ष का आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

विपक्षी की ओर से निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया गया है–

1. जबाब
2. अंचल अधिकारी, कुन्दा में संधारित विविध वाद सं0–10/2020–21 बलेश यदव बनाम राजेन्द्र यादव में पारित आदेश की प्रति ।
3. राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन ।
4. अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा संधारित दाखिल–खारिज केश नं0–11/1980–81 में अंचल अधिकारी,प्रतापपुर द्वारा पथम पक्ष का दाखिल–खारिज अस्वीकृत किये गये आदेश की प्रति ।
5. पंजी–।।
6. धारा–145 द0प्र0सं0 में परिवर्तन होकर केश नं0–96/90, 27/93 में पारित आदेश ।

प्रश्नगत् भूमि से संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है । प्रतिवेदित है कि खाता सं0–9 प्लॉट सं0–27,31,34,66,68, 75, 126, 346, 347 एवं 356 रकवा कमश–0.53 एव,0.95 ए0, 0.92 ए0, 0.64 ए0, 1.38 ए0, 0.62 ए0, 0.22 ए0, 0.05 ए0,0.83 ए0, 0.22 ए0, कुल रकवा 6.36 ए0 से संबंधित भूमि वर्तमान पजी–।। के अनुसार ग्राम–चाया की पृष्ट सं0–84/1 पर सरयु महतो पिता सुखो महतो के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । इस जमाबंदी पंजी–।। के प्राधिकार सेक्सन के अनुसार दा0खा0 केश नं0–117/1970–71 द्वारा दर्ज किया गया है । इस भूमि पर इनके द्वारा मकान बनाकर निवास कर रहे हैं । जीलो यादव के नाम वर जमाबंदी दर्ज करने पर दोहरी जमाबंदी का मामला बनता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष, दाखिल कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत् भूमि प्रथम पक्ष को उनके पिता झरी महतो द्वारा निबंधित केवाला सं0–5013 दिनांक–17.11.1989 से हासिल है जिसका दाखिल खारिज अंचल अधिरी, प्रतापपुर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है । विपक्षी का दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है । प्रश्नगत् भूमि से संबंधित दाखिल खारिज हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, कुन्दा के न्यायालय में आवेदन दिया गया था जिसके आलोक में तत्कालीन विद्वान अंचल अधिकारी,कुन्दा द्वारा विविध वाद सं0–10/2020–21 बलेश यादव बनाम राजेन्द्र यादव संधारित किया गया एवं सुनवाई एवं कागजातों के आधार पर दिनाक–05.02.2021 को प्रथम पक्ष का दावा को निरस्त किया करते हुए असंतुष्ट पक्ष को सक्षम प्राधिकार/न्यायालय में जाने हेतु आदेश पारित किया गया है ।

राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि का जमाबंदी दा0खा0 केश नं0–117/1970–71 के आदेश से विपक्षी के नाम से दर्ज है एवं विपक्षीगण मकान बनाकर निवास कर रहे हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस भूमि से संबंधित तत्कालीन विद्वान अंचल अधिकारी,कुन्दा द्वारा विविध वाद सं0–10/2020–21 बलेश यादव बनाम राजेन्द्र यादव संधारित किया गया एवं सुनवाई एवं कागजातों के आधार पर दिनाक–05.02.2021 को प्रथम पक्ष के दावा को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है । अतः उक्त के आलोक में पुनः आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । तद्नुसार प्रथम पक्ष के आवेदन–पत्र को खारिज किया जाता है । असंतुष्ट पक्ष सिविल न्यायालय/अपीलीय न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र हैं ।

लेखापित एवं संशोधित

22/7/22

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

22/7/22

अंचल अधिकारी
कुन्दा।

Digitally signed by KHAGESH KUMAR
Date: 2023.02.16 14:54:49 +05:30
Location: 192.168.50.40